प्रसार शिक्षा निदेशालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर, राजस्थान–303329

दूरभाषः 01425–254035 **(कार्या.)**01425–254022 (फैक्स)

क्रमांकः प. ( )/प्र.शि.नि./श्रीकनकृवि/निविदा/2019/5684 दिनांकः 20.06.2019

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के अन्तर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एवं गुणवत्ता सुधार केन्द्र (**ATMQIC**) परियोजना में विभिन्न कार्यक्रम यथा प्रशिक्षण, क्षैत्र भ्रमण, किसान गोष्ठी, फसल प्रदर्शन, क्षेत्र दिवस, कृषक वैज्ञानिक संवाद एवं विभिन्न जिलों (राजस्थान) में प्रसार गतिविधियों के संचालन व उन्नत किस्म के बीजों का संग्रह करना आदि गतिविधियों हेतु बोलेरो, जायलो, क्वालिस, तवेरा, ईनोवा बन्द बॉडी की टैक्सी वाहन(ए.सी. एवं नॉन ए.सी.) की आवश्यकता है।

इस कार्य हेतु टैक्सी वाहन मालिक/फर्म/यात्रा कम्पनियां अपने वाहन की किराया दर राशि प्रति किलोमीटर की दर से एवं स्थानीय कार्य हेतु न्यूनतम किलोमीटर प्रति दिन (सभी कर सहित) बन्द लिफाफे में निविदाये दिनांक 01.07.2019 को 10-30 बजे तक निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय, जोबनेर को भेजने का श्रम करें। निविदा उसी दिन प्रातः 11.30 बजे निविदा समिति प्रसार शिक्षा निदेशालय के समक्ष खोली जावेगी। यह निविदा 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। निविदा समिति द्वारा स्वीकृत वाहन मालिक को वाहन की आवश्यकता होने पर एक दिन पूर्व सूचना कर दी जावेगी। जिस पर वाहन मालिक को वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

शर्तेः–

1. निविदा बतौर धरोहर राशि रूपये 1000/– जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. वाहन का किराया ATMQIC परियोजना में बिल पास होने पर ही भुगतान किया जावेगा।
3. वाहन से सम्बन्धित सभी कर (टोल टैक्स, पार्किग एवं अन्य खर्च) टेक्सी वाहन मालिक को ही वहन करने होगें।।
4. निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदादाता को किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षकर्त्ता का होगा।
7. वाहन का आल राजस्थान टैक्सी परमिट होना आवश्यक है।
8. **यदि कोई कर आदि** टैक्सी वाहन मालिक/फर्म **के लागू है तो चुकता करने की जुम्मेदारी** टैक्सी वाहन मालिक/फर्म **की ही होगी तथा उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।**

20/6/19

निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्त नियन्त्रक महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान कोषाधिकारी महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान संयोजक/सदस्य निविदा समिति प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. समस्त सूचना पट्ट/कॉलेज/विश्वविद्यालय/ग्राम पंचायत, जोरपुरा/नगर पालिका, जोबनेर
5. इंचार्ज सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. मैसर्स ....

निदेशक